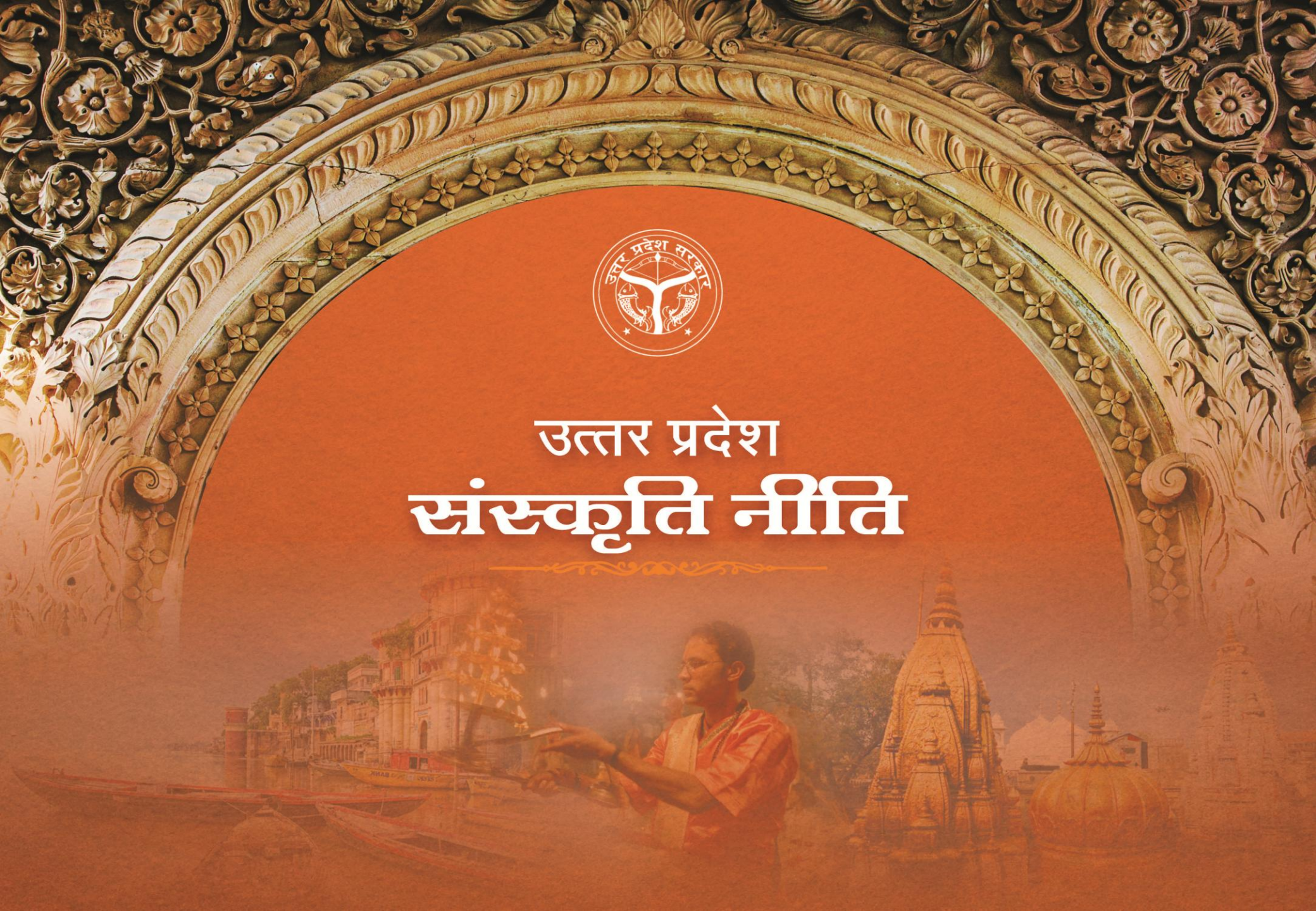

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश
संस्कृति नीति

परिचय

मानव कल्याण में सहायक सम्पूर्ण ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक गुण को संस्कृति के रूप में मान्यता प्राप्त है। 'यजुर्वेद में संस्कृति को सृष्टि माना गया है। संस्कृति का मानव जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि संस्कृति में ही मानव के संस्कार हस्तांतरित होते हैं।

उत्तर प्रदेश मानवता की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के विशाल संग्रह के लिए सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीनता, निरन्तरता, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का अद्‌भुत समन्वय ही उत्तर प्रदेश की बहुआयामी संस्कृति की मूल विशेषता है।

संस्कृति नीति की आवश्यकता

- राष्ट्र के बहुमुखी विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका।
- जर्मनी, स्वीडन, रूस एवं भारत में हरियाणा पंजाब, असम, मणिपुर, कर्नाटक की अपनी संस्कृति नीति।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29,49 एवं 51 क (च) में संस्कृति की महत्ता को मान्यता एवं इसके संरक्षण पर बल।
- सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के आह्वान के सम्बन्ध में भारत द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को 'यूनेस्को कन्वेंशन–2005' की पुष्टि।
- राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन, आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत संस्कृति विभाग द्वारा संस्कृति नीति की आवश्यकता।

दृष्टि एवं मिशन

- प्रदेश की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को उसकी सम्पूर्ण विविधता में संरक्षित, संवर्धित, लोकप्रिय बनाना एवं विश्व में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम सांस्कृतिक गन्तव्य के रूप में स्थापित करना।
- उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन्त राज्य के रूप में स्थापित करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास हेतु इसकी सांस्कृतिक विरासत को एक प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करना।

उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, संवर्धित, लोकप्रिय एवं सुदृढ़ करना,
- संस्कृति एवं कला के समस्त रूपों को प्रोत्साहित करना;
- राज्य के सामान्यजन तथा विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग तक कला और सांस्कृतिक गतिविधियों की पहुँच व जागरूकता ;
- राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और आर्थिक विकास और खुशी सूचकांक (Happiness Index) के आधार स्तम्भ के रूप में संस्कृति की उल्लेखनीय भूमिका को उजागर करना;
- कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गैर सरकारी प्रयासों –व्यक्तिगत, समूह, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, कॉरपोरेट क्षेत्र, व्यावसायिक घरानों को प्रोत्साहित करना;
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।

- प्रदेश की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;
- प्रदेश का सांस्कृतिक मानचित्रण (Cultural Atlas);
- सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं पौराणिक पर्यटन को प्रोत्साहन;
- सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनजागरूकता का विकास;
- कला एवं संस्कृति के सम्यक् विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना;
- कला एवं संस्कृति को आजीविका से जोड़ना;
- कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना;
- कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना;
- महिला, युवा, दिव्यांग एवं ट्रांसजेण्डर का सशक्तीकरण;
- सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना;
- निर्धन कलाकार कल्याण।

लक्ष्य व रणनीति

सांस्कृतिक
विरासत का संरक्षण,
संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण

सांस्कृतिक
मानचित्रण
(CULTURAL ATLAS)

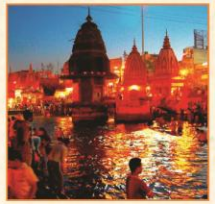

सांस्कृतिक, आध्यात्मिक
एवं पौराणिक पर्यटन को
प्रोत्साहन

सांस्कृतिक विरासत के
प्रति जनजागरूकता
का विकास

सांस्कृतिक विरासत के
सम्यक् विकास हेतु वित्तीय
संसाधन सुनिश्चित करना

कला एवं संस्कृति को
आजीविका से जोड़ना

कलाकार
कल्याण कोष

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण

- संस्कृति विभाग के संरचनात्मक ढाँचे का पुनर्गठन ।
- राज्य संरक्षित स्मारकों का परिरक्षण और संरक्षण।
- संग्रहालयों/अभिलेखागारों में संरक्षित अभिलेखों/पाण्डुलिपियों – कलाकृतियों, आदि का सम्यक् प्रबन्धन, संरक्षण, प्रदर्शन, शोध कार्य।
- प्रदर्श कला – नृत्य, संगीत, गायन के विभिन्न रूपों का संरक्षण और संवर्धन।
- 'अवध', 'ब्रज', बुन्देलखण्ड, पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल क्षेत्र की कला एवं संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन।
- 'शाक्त', 'नाथ', 'भक्ति', 'बौद्ध', 'जैन', 'सूफी', 'कबीरपंथ' के आधारभूत तत्वों का सरंक्षण एवं संवर्धन तथा आधुनिक काल के संदेशों का सम्यक् प्रचार प्रसार।

सांस्कृतिक मानचित्रण

(CULTURAL MAPPING)

- सांस्कृतिक सम्पत्तियों और संसाधनों का डाटाबेस बनाना।
- प्रदर्श कला, दृश्य कला, ललित कला के विविध रूप, स्मारक, पुरावशेष, मूर्तियाँ, ऐतिहासिक लेख/पाण्डुलिपियाँ, कलाकृतियाँ, प्राचीन मंदिर, मेले, त्योहार, पारम्परिक जलाशय, पारम्परिक खेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं राष्ट्रीय आन्दोलन से संबंधित स्थानों आदि के सम्बंध में सूचना संग्रहण।

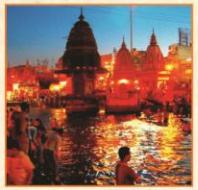

सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं पौराणिक पर्यटन को प्रोत्साहन

- पर्यटकों को संगीत / लोक नृत्य/ हस्त शिल्प/ सांस्कृतिक पर्वों/ रामायण सर्किट/बौद्ध सर्किट – के भ्रमण हेतु प्रोत्साहन।
- उत्तर प्रदेश दिवस को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना।

सांस्कृतिक विरासत के प्रति जनजागरूकता का विकास

- योग, सूर्य नमस्कार, शंख वादन, पवित्र वृक्षों का रोपण 'ऊँ उच्चारण',ज्योतिषि' आदि परम्पराओं एवं रीति–रिवाजों के वैज्ञानिक आधार को स्पष्ट करना।
- गिरमिटिया श्रमिकों से सम्बंधित सामग्रियों का संकलन एवं सम्बंधित जनपदों में प्रदर्शन।
- स्कूल/कालेज स्तर के शैक्षिक पाठ्यक्रम में 'सांस्कृतिक विरासत अध्ययन' को सम्मिलित करना ।

सांस्कृतिक विरासत के सम्यक् विकास हेतु वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना

_सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0), कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सी0एस0आर0) 'क्राउड फंडिग' के माध्यम से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

कला एवं संस्कृति को आजीविका से जोड़ना

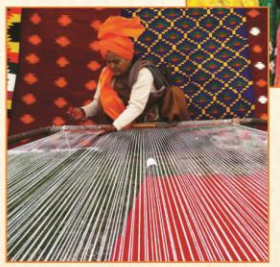

- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पों, कला के विविध रूपों, त्यौहारों, मेलों को विश्व प्रसिद्ध बनाना।
- एम.एस. एम. ई. के सहयोग से रोजगार सृजन, स्थानीय एवं राज्य अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु प्रदेश के सांस्कृतिक उत्पादों (**ODOP**) के उत्पादन एवं मांग को प्रोत्साहित किया जाना।

कलाकार कल्याण कोष

- कलाकारों के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति/ फेलोशिप/ पुरस्कार/ मान्यता प्रदान करना।
- 'कलाकार कल्याण कोष' की स्थापना।
- वृद्ध एवं विपन्न कलाकरों हेतु संचालित मासिक पेन्शन योजना का विस्तार।

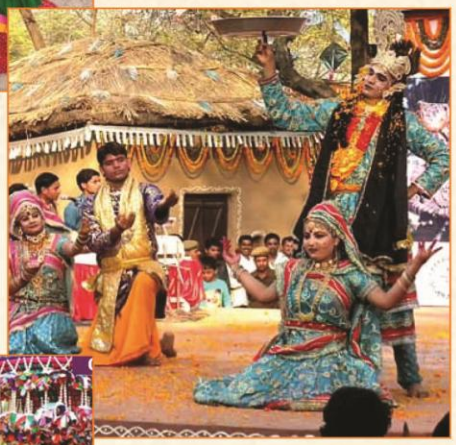

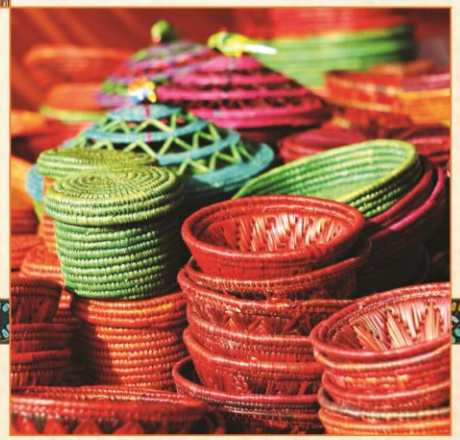

विकास पहल

१ विकास पहल और अनुमेय घटक।

- इसके अन्तर्गत संग्रहालय, अभिलेखागार, सांस्कृतिक केन्द्र,आर्ट गैलरी/डिजिटल आर्ट गैलरी , व्याख्या केन्द्र।

२ परियोजना श्रेणियां

- मेगा कल्चर प्रोजेक्ट्स – कोई भी या सभी उपर्युक्त विकास पहल जिसका आकार ₹300 करोड़ या उससे अधिक।
- कल्चर प्रोजेक्ट्स – ₹100 करोड़ से अधिक या ₹300 करोड़ से कम।

अन्य परियोजना श्रेणियां:

- लोककथाओं के संरक्षण के लिए केंद्रों का विकास (Development of Centres for folklore Conservation)
- कला और संस्कृति में कौशल विकास और उद्यमिता केंद्र (Centres for skills development & Entrepreneurship in arts & Culture)
- सांस्कृतिक क्षेत्र में स्टार्ट–अप का विकास (Development of Start-up in the cultural sector)
- सार्वजनिक कला (Public Art)
- ऐतिहासिक भवनों का परिरक्षण (Restoration of Historical Buildings)

३ पात्रता मानदंड

- भारत में विधि द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड सोसाइटी या ट्रस्ट या कम्पनी;
- न्यूनतम तीन साल से सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव।

धन्यवाद

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश